ऑन लाईन नं. RCMS 2022/300

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 38/2022

1. शारदा पत्नी श्री प्रकाश वर्मा पुत्री श्री अमीलाल जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 30, नगरपालिका सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थिया

बनाम

1. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :

1. अधिवक्त अपीलार्थी श्री रणजीत सारडीवाल
2. विभागीय प्रतिनिधि महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर।

आदेश दिनांक : 19.04.2023

अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि :–

1. यह कि उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर द्वारा पारित कार्यालय आदेश 22.11.2022 खिलाफ कानून, इन्साफ न होने तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त से परे होकर काबिले निरस्ती है।
2. यह कि सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि रैस्पोडेन्ट उपनिदेशक के कार्यालय से जारी विज्ञप्ति संख्या 01/2022 दिनांक 30.05.2022 में वर्णित शर्तोनुसार नगरपालिका सुरतगढ में कार्यकर्ता के 9 पदो एवं सहायिका के 15 पदों हेतु सम्बन्धित परियोजना कार्यालय में आवेदन पत्र आमत्रित किये जाने सम्बन्धित श्रीमान निदेशक महोदय सूचना एवंज न सम्पर्क विभाग राज0 जयपुर को पत्र कमांक 841 दिनांक 30.05.2022 वास्ते समाचार प्रकाशन हेतु जारी करते हुए 10 जून 2022 से 30 जून 2022 तक सम्बन्धित पदो पर आवेदन पत्र मांगे गये थे जिसकी पालना में अपीलार्थी ने नियमानुसार (वार्ड परिसीमन होने के उपरांत) नवीन वार्ड संख्या 30 में कार्यकर्ता पद हेतू अपने आवश्यक दस्तावेज सलंग्न करते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी, सूरतगढ कार्यालय में दिनांक 29.06.2022 को निर्धारित समयावधि के दौरान आवेदन पत्र जमा करवाया था आवेदन पत्र जमा होने के पश्चात भौतिक सत्यापन कर अपीलार्थी के चयन हेतू मूल्यांकन प्रपत्र में प्रपत्र (ब) अनुसार 7 अंक दिये गये है जिसके आधार पर अपीलार्थी का कार्यकर्ता पद हेतु चयन किया जाना था लेकिन रेस्पोडेन्ट उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर ने समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त कार्यालय आदेश दिनांक 22.11.2022 जारी करते हुए जारी प्रेस विज्ञप्ति निरस्त करने का आदेश दे दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व होने के कारण काबिले खारिज है।
3. यह कि अपीलार्थी ने जब रेस्पोडेन्ट के कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थित होकर कार्यालय आदेश दिनांक 22.11.2022 के सम्बन्ध में अपना एतराज प्रस्तुत करना चाहा तो यह कहते हुए मना कर दिया कि आप हमारे आदेश के विरूद्व केवल अपील कर सकते है इसी आधार पर यह अपील प्रस्तुत है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

4. यह कि रेस्पोडेन्ट से जारी कार्यालय आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर अति शीघ्रता से अपील प्रस्तुत है जो कि अदालतवाला के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है जो अन्दर अवधि उचित कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः प्रथम अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपनिदेशक , महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांक 22.11.2022 निरस्त कर अपीलार्थी का चयन वार्ड संख्या 30 नगरपालिका सुरतगढ में आंगनबाडी कार्यकर्ता पद हेतु किया जावें।

उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट एवं रिकार्ड मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया।

रेस्पोडेन्ट उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 6407 दिनांक 22.12.2022 द्वारा जबाब नोटिस एवं रिकॉर्ड पेश किया गया। उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 6407 दिनांक 22.12.2022 द्वारा जबाब नोटिस पेश कर अंकित किया कि निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर के आदेश कमांक 108508 दिनांक 19.08.2021 की पालना में इस कार्यालय द्वारा जिले में आंगनबाडी केन्द्रों के रिक्त पदो की विज्ञप्ति कमांक 840 दिनांक 30.05.2022 को जारी की गई। उक्त विज्ञप्ति में अंकित रिक्त पदो हेतु जारी पदो के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर विभाग के परिपत्र 108508 में दिये गये निर्देशानुसार चयन कार्यवाही बाल विकास परियोजना अधिकारी सूरतगढ के द्वारा निर्धारित अवधि में सम्पादित की जानी थी. परन्तु सूरतगढ के द्वारा प्राप्त आवेदनों को 90 दिवस अधिक के पश्चात ब्लॉक स्तरीय चयन कमेटी मे दिनांक 17.10.2022 को उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत किये गये जिसके कारण समस्त चयन ब्लॉक स्तरीय चयन कमेटी मे नही किये जा सकें तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी सूरतगढ के उक्त चयन जिला स्तरीय चयन कमेटी में किये जाने हेतु दिनांक 03.11.2022 को प्रस्तुत किये गये जो कि निर्धारित अवधि 150 दिवस बाद में प्रस्तुत किये गये साथ ही बाल विकास परियोजना अधिकारी सूरतगढ ने अपने पत्रांक 975 दिनांक 22.11.2022 के द्वारा उक्त विज्ञप्ति को नये वार्डो की स्थिति स्पष्ट नही होने के कारण निरस्त किये जाने का पत्र कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। उल्लेखनिय है कि विभाग के परिपत्र कमांक 108508 दिनांक 19.08.2021 के बिन्दु संख्या 4(1)(ग) के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार चयन कार्यवाही विज्ञप्ति जारी होने के 150 दिवस की समय सीमा से अवधिपार होने पर विज्ञप्ति निरस्त किये जाने के निर्देशों की पालना में कार्यालय आदेश कमांक 6049 दिनांक 22.11.2022 के द्वारा विज्ञप्ति संख्या 840 दिनांक 30.05.2022 में नगरपालिका क्षेत्र सूरतगढ के आ.बा.केन्द्रों के रिक्त पदों को निरस्त करते हुए उक्त चयन विभाग के द्वारा निर्धारित अवधि में चयन नहीं किये जाने के कारण बाल विकास परियोजना अधिकारी सूरतगढ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है साथ ही जिले के समस्त परियोजना कार्यालय के साथ–साथ उक्त निरस्त किये गये चयनो हेतु नवीन विज्ञप्ति संख्या 02/2022 पत्रांक 6214 दिनांक 02.12.2022 जारी की जा चुकी है जिसमें दिनांक 31.12.2022 तक रिक्त पदो हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित बाल विकास परियोजना कार्यालयों में जमा करवाये जा रहे है।

अपीलार्थीया ने दौराने बहस में कथन किया कि :–

अधिवक्ता अपीलार्थीया ने अपील के बिन्दुओं को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि उपनिदेशक के कार्यालय से जारी विज्ञप्ति संख्या 01/2022 दिनांक 30.05.2022 में वर्णित शर्तोनुसार नगरपालिका सुरतगढ मे कार्यकर्ता के 9 पदो एव

सहायक जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

सहायिका के 15 पदों हेतु सम्बन्धित परियोजना कार्यालय में आवेदन पत्र आमत्रित किये जाने सम्बन्धित श्रीमान निदेशक महोदय सूचना एवंज न सम्पर्क विभाग राज0 जयपुर को पत्र क्रमांक 841 दिनांक 30.05.2022 वास्ते समाचार प्रकाशन हेतु जारी करते हुए 10 जून 2022 से 30 जून 2022 तक सम्बन्धित पदो पर आवेदन पत्र मांगे गये थे जिसकी पालना में अपीलार्थी ने नियमानुसार (वार्ड परिसीमन होने के उपरांत) नवीन वार्ड संख्या 30 में कार्यकर्ता पद हेतू अपने आवश्यक दस्तावेज सलंग्न करते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी, सूरतगढ कार्यालय में दिनांक 29.06.2022 को निर्धारित समयावधि के दौरान आवेदन पत्र जमा करवाया था आवेदन पत्र जमा होने के पश्चात भौतिक सत्यापन कर अपीलार्थी के चयन हेतू मूल्यांकन प्रपत्र में प्रपत्र (ब) अनुसार 7 अंक दिये गये है जिसके आधार पर अपीलार्थी का कार्यकर्ता पद हेतु चयन किया जाना था परन्तु उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर ने समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त कार्यालय आदेश दिनांक 22.11.2022 जारी करते हुए जारी प्रेस विज्ञप्ति निरस्त कर दिया गया जो कानून प्रेस विज्ञप्ति गलत निरस्त की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपनिदेशक , महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांक 22.11.2022 निरस्त कर अपीलार्थी का चयन वार्ड संख्या 30 नगरपालिका सुरतगढ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु किया जावें

विभागीय प्रतिनिधि उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर ने अपनी बहस में जबाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर के आदेश क्रमांक 108508 दिनांक 19.08.2021 की पालना में इस कार्यालय द्वारा जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों के रिक्त पदो की विज्ञप्ति क्रमांक 840 दिनांक 30.05.2022 को जारी की गई। उक्त विज्ञप्ति में अंकित रिक्त पदो हेतु जारी पदो के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर विभाग के परिपत्र 108508 में दिये गये निर्देशानुसार चयन कार्यवाही बाल विकास परियोजना अधिकारी सूरतगढ के द्वारा निर्धारित अवधि में सम्पादित की जानी थी, परन्तु सूरतगढ के द्वारा प्राप्त आवेदनों को 90 दिवस अधिक के पश्चात ब्लॉक स्तरीय चयन कमेटी में दिनांक 17.10.2022 को उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत किये गये जिसके कारण समस्त चयन ब्लॉक स्तरीय चयन कमेटी में नहीं किये जा सकें तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी सूरतगढ के द्वारा उक्त चयन जिला स्तरीय चयन कमेटी में किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 03.11.2022 को प्रस्तुत किये गये जो कि निर्धारित अवधि 150 दिवस बाद में प्रस्तुत किये गये साथ ही बाल विकास परियोजना अधिकारी सूरतगढ ने अपने पत्रांक 975 दिनांक 22.11.2022 के द्वारा उक्त विज्ञप्ति को नये वार्डो की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने का पत्र कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। विभाग के परिपत्र क्रमांक 108508 दिनांक 19.08.2021 के बिन्दु संख्या 4(1)(ग) के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार चयन कार्यवाही विज्ञप्ति जारी होने के 150 दिवस की समय सीमा से अवधिपार होने पर विज्ञप्ति निरस्त किये जाने के निर्देशों की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांक 6049 दिनांक 22.11.2022 के द्वारा विज्ञप्ति संख्या 840 दिनांक 30.05.2022 में नगरपालिका क्षेत्र सूरतगढ के आ.बा.केन्द्रों के रिक्त पदों को निरस्त करते हुए उक्त चयन विभाग के द्वारा निर्धारित अवधि में चयन नहीं किये जाने के कारण बाल विकास परियोजना अधिकारी सूरतगढ को कारण बताओं नोटिस जारी जा चुका है साथ ही जिले के समस्त परियोजना कार्यालय के साथ–साथ उक्त निरस्त किये गये चयनों हेतु नवीन विज्ञप्ति संख्या 02/2022 पत्रांक 6214 दिनांक 02.12.2022 जारी की जा चुकी है जिसकी पालना में नवीन विज्ञप्ति हेतु आवेदन जमा करवाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

नवीन विज्ञप्ति में आवेदन जमा करवाने हेतु स्वतन्त्र है। अतः अपील अपीलार्थीया खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली, रिपोर्ट एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

उपनिदेशक, महिला एवं बाल विभाग विभाग, श्रीगंगानगर ने निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर के आदेश क्रमांक 108508 दिनांक 19.08.2021 की पालना में जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों के रिक्त पदो की विज्ञप्ति क्रमांक 840 दिनांक 30.05.2022 को जारी की गई। उक्त विज्ञप्ति में अंकित रिक्त पदो हेतु जारी पदो के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर विभाग के परिपत्र 108508 में दिये गये निर्देशानुसार चयन किया जाना था , परन्तु सूरतगढ के द्वारा प्राप्त आवेदनों को 90 दिवस के पश्चात ब्लॉक स्तरीय चयन कमेटी में दिनांक 17.10.2022 को उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत किये गये जिस कारण समस्त चयन ब्लॉक स्तरीय चयन कमेटी द्वारा नहीं किये गये। बाल विकास परियोजना अधिकारी सूरतगढ के द्वारा उक्त चयन जिला स्तरीय चयन कमेटी में किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 03.11.2022 को प्रस्तुत किये गये जो कि निर्धारित अवधि 150 दिवस बाद में प्रस्तुत किये गये साथ ही बाल विकास परियोजना अधिकारी सूरतगढ ने अपने पत्रांक 975 दिनांक 22.11.2022 के द्वारा उक्त विज्ञप्ति को नये वार्डो की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने का पत्र कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। विभाग के परिपत्र क्रमांक 108508 दिनांक 19.08.2021 के बिन्दु संख्या 4(1)(ग) के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार चयन कार्यवाही विज्ञप्ति जारी होने के 150 दिवस की समय सीमा से अवधिपार होने पर विज्ञप्ति निरस्त किये जाने के निर्देशों की पालना में कार्यालय आदेश क्रमांक 6049 दिनांक 22.11.2022 के द्वारा विज्ञप्ति संख्या 840 दिनांक 30.05.2022 में नगरपालिका क्षेत्र सूरतगढ के आ.बा.केन्द्रों के रिक्त पदों हेतु जारी विज्ञप्ति को निरस्त किया कर दिया गया। साथ ही नवीन विज्ञप्ति संख्या 02/2022 पत्रांक 6214 दिनांक 02.12.2022 जारी की जा चुकी है जिसकी पालना में नवीन विज्ञप्ति हेतु आवेदन जमा करवाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी नवीन विज्ञप्ति में आवेदन जमा करवाने हेतु स्वतन्त्र है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय न्याय संगत है। लिहाजा अपील अपीलार्थीया खारिज की जाती है। रेस्पोडेन्टस 01 को आदेशित किया जाता है कि वे सीडीपीओ, सुरतगढ के वार्ड नम्बर 30 के लिए कार्यकर्ता के पद हेतु अपीलार्थिया शारदा पत्नी श्री प्रकाश वर्मा पुत्री श्री अमीलाल के प्रार्थना पत्र को नवीन विज्ञप्ति में शामिल किया जावें। आदेश की प्रति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग, श्री गंगानगर को उनके कार्यालय से प्राप्त रेकार्ड के साथ एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी सूरतगढ प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 19.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
अति0. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर